कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब. 319(2)/सत्तर–6–2012–2(360)/2012 दिनांक–20.09.2012 की टंकित प्रतिः–

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू.वि.वि./सम्बद्धता/07–92(एक)/2012/12342, दिनांक–23.07.2012, पत्रांक–पू.वि.वि./सम्बद्धता/07–92(एक)/2012/11181, दिनांक–02.04.2012 एवं पत्रांक–पू.वि.वि./सम्बद्धता/07–92(तीन)/2012/12388, दिनांक–25.07.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन **प्रो0 रामनाथ पाण्डेय महिला महाविद्यालय, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर** को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत **हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र** एवं **प्राचीन इतिहास** विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2011–12 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक–01.07.2012 से शैक्षिक सत्र 2012–13 हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है–

1. शैक्षिक सत्र 2011–12 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित नहीं होने की स्थिति में सत्र 2012–13 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमतिं मानते हुए दिनांक–01.07.2012 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थायी) आदेश निर्गत किये जायेंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

ह0/–
(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक : 04.12.2012

आदेश

अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब. 319(2)/सत्तर–6–2012–2(360)/2012 दिनांक–20.09.2012 के प्रस्तर–1 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में **प्रो0 रामनाथ पाण्डेय महिला महाविद्यालय, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2011–12 में स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का परीक्षाफल शासनादेशनुसार 60 प्रतिशत से अधिक होने एवं सामूहिक नकल में आरोपित न होने की पुष्टि के फलस्वरूप महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित विषयों में दिनांक–01.07.2012 (शैक्षिक सत्र 2012–13) से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान किया जाता है।

ह0/–
प्रो0 (सुन्दर लाल)
कुलपति
दिनांक–04.12.2012

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः पू.वि.वि./सम्बद्धता/07–92(एक)/2012/13515

दिनांक ...4-12-2012...

प्रतिलिपि :–

1. अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्ब. 319(2)/सत्तर–6–2012–2(360)/2012 दिनांक–20.09.2012 के प्रस्तर–1 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्धक/प्राचार्य, **प्रो0 रामनाथ पाण्डेय महिला महाविद्यालय, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर** को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विषयों में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
3. उप कुलसचिव/सहा0 कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के सम्बद्धता सम्बन्धी निर्गत पत्र संख्या–पू.वि.वि./सम्बद्धता/03–(एक)/2017/3303, दिनांक–15.11.2017 की टंकित प्रतिः–

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्वता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **प्रो0 रामनाथ पाण्डेय महिला महाविद्यालय, मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर कला** संकाय के अन्तर्गत **समाजशास्त्र** एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **प्रबन्ध समिति के अनुमोदन के अभाव में** दिनांक–01.07.2017 से शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्वता प्रदान की जाती है:–

1. **महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति अनुमोदित न होने के अधीन, तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों के पूर्ण होने पर सत्र 2017–18 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक– 01.07.2017 से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किये जायेगें।**
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125/ 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. **महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर** करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ–पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्वता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक–30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्वता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. महाविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष A.I.H.S.E का पंजीकरण कराकर उसका प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
11. **सम्बद्धता प्राप्त किये बिना अगले शैक्षिक सत्र 01 जुलाई, 2018 से प्रथम वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा, अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।**

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या– **पू.वि.वि./सम्बद्धता/03–(एक)/2017/3303, दिनांक–15.11.2017** के प्रस्तर–1 में दिये गये निर्देश के अनुपालन मे **प्रो0 रामनाथ पाण्डेय महिला महाविद्यालय, मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर को स्नातकोत्तर** स्तर पर **कला** संकाय के अन्तर्गत **समाजशास्त्र** एवं **गृहविज्ञान विषयों** में प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने के फलस्वरूप महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित विषयों में दिनांक 01.07.2017 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान किया जाता है।

AISHE के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन प्रतिवर्ष करायें।

ह0/–
प्रो.(राजाराम यादव)
कुलपति

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01–(एक)/2018/1537 दिनांक : 5.10.18

प्रतिलिपि :–

1. सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, वीर बहादुर सिंह, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
5. सम्बन्धित पत्रावली।
6. **प्रबन्धक, प्रो0 रामनाथ पाण्डेय महिला महाविद्यालय, मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर** को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विषयों में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
7. सहायक/उप कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर।

03/10/18
कुलसचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/07– (एक)/2019/ 5208
दिनांक : 15-4-19

सेवा में,

प्रबन्धक,
प्रो0 रामनाथ पाण्डेय महिला महाविद्यालय,
मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर बी0एड0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– 1103 (1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014, दिनांक–01 अगस्त, 2014, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में **प्रो0 रामनाथ पाण्डेय महिला महाविद्यालय, मुंगराबादशाहपुर, जौनपुर** को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर** पर **शिक्षा संकाय** के अन्तर्गत **बी0एड0** पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) में 100 सीटों (02 यूनिट) की प्रवेश क्षमता सहित **सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति** जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक– **01.07.2019** से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है :–

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक–02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनांक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125/70–2–2005–2 (166) 2002, दिनांक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन/एन0सी0टी0ई0 जयपुर द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि आदि में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या–12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक–12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
8. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
9. A.I.S.H.E. के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समस्त अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
10. सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क का भुगतान अग्रिम वर्षों के अन्तर्गत।
11. N.C.T.E के मूल पत्र के सत्यापन के अन्तर्गत।
12. महाविद्यालय समय–समय पर शासन/एन0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेगा।
13. महाविद्यालय उपरोक्त समस्त निर्देशों का पालन करेगा अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय,

12/04/19
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भारत सरकार। जी–7, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली–110075
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. अधीक्षक (शैक्षणिक) कार्यपरिषद की आगामी बैठक में संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव